मु0 न0 ....144/2022

तारीखरजू:– 16.11.2022

उनवानः– गुलबाई बनाम मनोहरलाल

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

दिनांक	
16.11.2022	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा।

प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि ग्राम नांगलशेरपुर की आराजी ख0न0 1906/0.06, 1910/0.05, 1911/0.13, 1922/0.08, 1923/0.07, 203/0.24, 211/0.29, 760/0.25, 761/0.29, 892/0.20, 893/0.26 कुल किता 11 रकवा 1.92 है0 मे जबरदस्ती अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल कर रहे है, उक्त खसरा नम्बरान मे से कुछ खसरा नम्बरान का विक्रय पत्र अप्रार्थीगण द्वारा फर्जी तरीके से पंजीबद्ध करा लिया है। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि किसी भी दस्तावेज यथा नामांतकरण, विक्रयपत्र, रहननामा, बावत किसी भी अन्य दस्तावेज को पंजीबद्ध नही करे व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

उक्त खसरा नम्बरान बावत श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थी पितराम पुत्र बसन्ता मीना की ओर से प्रार्थना पत्र केवियट, अन्तर्गत धारा 148 क जा0दी0 पेश किया जिसमे कथन किया कि ग्राम नांगल शेरपुर की आराजी ख0न0 1906/0.06, 1910/0.05, 1911/0.13, 1922/0.08, 1923/0.07, 203/0.24, 211/0.29, 760/0.25, 761/0.29, है0 मे 1/2 हिस्सा प्रार्थी पितराम ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है उक्त आराजीयात बावत अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पेश होने पर सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सुने जाने के बाद आदेश पारित किया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सायल वकील व केवियट प्रार्थी वकील को सुना गया, व सलग्न रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ सलग्न ग्राम नांगलशेरपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 273 मे ख0न0 1906, 1910, 1911, 1922, 1923, 203, 211, 760, 761 पर नामांतकरण प्रक्रियाधीन होने का नोट अंकित है, चुकि वर्णित खसरा नम्बरान का विक्रय पत्र अनुसार नामांतकरण प्रक्रियाधीन है। अतः प्रक्रियाधीन नामांतकरण मे वर्णित खसरा नम्बरान पर अंतरिम स्थगन दिया जाना न्यायोचित नही है। अतः अंतरिम स्थगन नही दिया जाकर जबाब लिया जावे।

सायल वकील के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नांगल शेरपुर के ख0न0 1906/0.06, 1910/0.05, 1911/0.13, 1922/0.08, 1923/0.07, 203/0.24, 211/0.29, 760/0.25, 761/0.29, 892/0.20, 893/0.26 कु[illegible] 1 रकवा 1.92 है0 के संबध मे विचाराधीन नामांतक[illegible] नही होगा, विचाराधीन नामांतकरण के निर्णय पश्चात आगामी [illegible] रिकार्ड मे किसी प्रकार की तब्दीली नही हो इस बावत गैरसायलान को आगामी पेशी तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। केवियट प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली हो। पत्रावली वास्ते तलबी गैरसायल न0 1, 3, 4, 5 व जबाब हेतु दिनांक 02.12.2022 को पेश हो।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

7326.30
16-11-22

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:42:58 IST
Reason: SelfAttested

6/12/23 पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 19.12.23 को पेश हो।

19/12/23 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। अप्रार्थी न० 1, 2, 3 के पुनः नोटिस पेश करने के लिए प्रार्थी वकील को हिदायत दी गई। एवं अप्रार्थी न० 4, 5 पैरोकार सरकार उपस्थित। वास्ते तलबी दिनांक 22.1.24 को पेश हो।

22/1/24 वकलाय उपस्थित/वार की ओर से कार्य स्थगन रखा। पीठासन अधिकारी भ्रमण/मीटिंग/अवकाश पर है। गतानुसार दिनांक 22.2.24 को पेश हो

22/2/24 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं० 1, 2, 3 के पुनः नोटिस पेश करने के लिए प्रार्थी वकील को हिदायत दी गई। वास्ते तलबी दिनांक 13/3/24 को पेश हो।

13/3/24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान व उनके वकील अनुपस्थित, न्यायालय द्वारा बार-बार आवाज दिलवाये जाने पर भी उभयपक्षकारान तथा उनके वकील अनुपस्थित रहे। प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर ... से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:42:58 IST
Reason: SelfAttested